

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या 7031/4-विविध/2016 (निर्विवाद वरासत) दिनांक 5.9.2016 में दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद में निर्विवाद उत्तराधिकार दर्ज करने हेतु दिनांक 22.9.2016 से 1.10.2016 तक राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित लेखपालों द्वारा खतौनियां पढ़ी जायेगी तथा मृत पाये गये खातेदारों हेतु नियत प्रपत्र भरा जायेगा एवं राजस्व निरीक्षकों द्वारा नियत प्रपत्र की जाँच दिनांक 1.10.2016 से 15.10.2016 तक करके निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जायेगा। सम्बन्धित खातेदार उक्त अभियान में सम्बन्धित ग्राम के लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक से सम्पर्क कर अपना नाम निर्विवाद उत्तराधिकार के रूप में दर्ज करा सकता है। ऐसे काश्तकारों के लिए जो सामान्यतः ग्रामों में निवास नहीं कर रहे हैं या जो निर्धारित दिवस में राजस्व ग्रामों में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, उनके लिए प्रत्येक तहसील में एक काउण्टर खोला गया है जहाँ अविवादित वरासतों को दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। काश्तकारों की सहायता के लिए तहसीलों में निम्न प्रकार हेल्पलाइन स्थापित कराया गया है।

क्रमांक	तहसील का नाम	हेल्पलाइन नम्बर
1	सदर जौनपुर	05452-220025
2	मड़ियाहूँ	9451166760
3	मछलीशहर	05454-272594
4	बदलापुर	9936206321
5	शाहगंज	05453-226592
6	केराकत	05450-242547


(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी
जौनपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी जौनपुर।

पत्रांक: 1320 / सात-भूलेख / 2016-17

दिनांक: 23 सितम्बर, 2016

- प्रतिलिपि- समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार जनपद जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कराकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व ग्रामों में खतौनियों को पढ़ाये जाने तथा नियत प्रपत्र पूर्ण कराकर निर्विवाद उत्तराधिकार के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- जिला सूचना अधिकारी जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्विवाद उत्तराधिकार दर्ज किये जाने सम्बन्धी अभियान के कार्यक्रम को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करायें।


23/09/16
जिलाधिकारी
जौनपुर।